कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

धानेषा

दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2009

सं फा. 10 (875)/मु, स. (मुख्या)/स.शु./08/7721.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ल्यूमिनस टेलीइन्फ्रा लि., सी-8 एण्ड-9,
कम्यूनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, द्वारा जारी किए जाने
वाले रुपए 4,92,79,030 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक
संख्या 50,001 से 49,77,903 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए
49,280 (रुपए उनचास हजार दो सौ अस्सी) केवल के समेकित
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 7th October, 2009

No. F. 10(875)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7721.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2. of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Luminous Teleinfra Limited, C-8 and 9, Community Centre, Janakpuri, New Delhi-Il0058 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.49,280 (Rs. Forty Nine Thousand Two Hundred Eight) only on the aggregate

value of shares of Rs.4,92,79,030 for equity share certificates with distinctive Nos. 50001 to 4977903 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (866)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/7722.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स कनक रिसोर्सिज मैनेजमैंट लि., सूट 276–278, होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 3,30,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,001 से 34,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 33,000 (रुपए तैंतीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(866)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7722.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kanak Resources Management Limited, suit No. 276-278, Hotel Samrat, Chanakyapuri, New Delhi-ll0021 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.33,000 (Rs. Thiry Three Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.3,30,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 100001 to 3400000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 9 **अक्तूबर**, 2009

सं फा. 10 (876)/मु, स. (मुख्या)/स.शु./08/7765.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जद्मशी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बयूना विस्टा रिजोर्ट्स प्रा. लि., यूजी-37, सोमदत्त चैम्बर-1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,15,83,550 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3894296 से 5052650 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 11,584 (रुपए ग्यारह हजार पांच सौ चौरासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 9th October, 2009

No. F. 10(876)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7765.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Buena Vista Resorts Private Limited, UG-37, Somdatt Chamber-1, Bhikaji Kama Place, New Delhi-Il0066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.11,584 (Rs. Eleven Thousand Five Hundred Eighty Four) only on the aggregate value of shares of Rs.1,15,83,550 for equity share certificates with distinctive Nos. 3894296 to 5052650 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (539)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7766.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ट्राईटोन ई-रेडी सोलूसन्स प्रा. लि., 240, एफ. आई.ई. पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 33,35,025 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 30726 से 37000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3,336 (रुपए तीन हजार तीन सौ छत्तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भृगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(539)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7766.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Triton-e-Ready Solutions Private Limited, 240, F.I.E., Patparganj Industrial Area, Delhi-Il0092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.3,336 (Rs. Three Thousand Three Hundred Thiry Six) only on the aggregate value of shares of Rs.33,35,025 for equity share certificates with distinctive Nos. 30726 to 37000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (881)/मु स. (मुख्या)/स.शु/08/7767.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स टाईमैक्स ग्रुप प्रीसिजन इंजीनियरिंग लि., 117, ग्राउंड फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 90,58,530 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 25739801 से 26645653 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 9059 (रुपए नौ हजार उनसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(881)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7767.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Timex Group Precision Engineering Limited, 117, Ground Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi-I10 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.9095 (Rs. Nine Thousand Fifty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs.90,58,530 for equity share certificates with distinctive Nos. 2,5739801 to 26645653 to be issued by the said company.

दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2009

सं फा. 10 (888)/मु स. (मुख्या)/स.शु,/08/7792.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैससं एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमैन्ट सर्विसेज प्रा. लि., एस बी आई लोकल हेड ऑफिस, 11, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 50,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 560000003 से 610000002 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 5,00,000 (रुपए पांच लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 13th October, 2009

No. F. 10(888)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7792.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd., SBI, Local Head Office, 11, Parliament Street, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.5,00,000 (Rs. Five Lac) only on the aggregate value of shares of Rs.50,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 560000003 to 610000002 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (867)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/7799.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स अल फोह इंडिया प्रा. लि., 1626/33, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, द्वारा जारी किए जाने

वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(867)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7799.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Al Foah India Private Limited, 1626/33, Naiwala, Karol Bagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (873)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/7800.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आईडियल ब्रोडकास्टिंग इंडिया प्रा. लि., सी-9/9650, वसंत कुंज, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 65,89,220 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2771727 से 3430648 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 6590 (रुपए छ: हजार पांच सौ नब्बे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(873)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7800.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148-(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ideal Broadcasting India Private Limited, C-9/9650. Vasant Kunj, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6590 (Rs. Six Thousand Five Hundred Ninety) only on the aggregate value of shares of Rs.65,89,220 for equity share certificates with distinctive Nos. 2771727 to 3430648 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (856)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/7801.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स जील बिल्डकोन प्रा. लि., 113-114, मोहता

बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 97,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000001 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 9700 (रुपए नौ हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(856)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7801.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Zeal Buildcon Private Limited, 113-114, Mohta Building, 4, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9700 (Rs. Nine Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.97,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 000001 to 1,00,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (810)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7802.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री विनटेज इन्फ्राकोन प्रा. लि., स्टेटसमैन हाउस, आठवी मंजिल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(810)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7802.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vintage Infracon Private Limited, Statesman House, 8th Floor, Barakhama Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (854)/मु, स. (मुख्या.)/स.शु./08/7803.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मैक इन्फ्राकोन प्रा. लि., 113–114, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 97,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000001 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 9700 (रुपए नौ हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(853)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7803.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mach Infracon Private Limited, 113-114, Mohta Building, 4, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9700 (Rs. Nine Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.97,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 000001 to 1,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (855)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7804.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शिक्यूयन रियलटेक प्रा. लि., 113-114, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 97,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000001 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 9700 (रुपए नौ हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(855)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7804.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sequin Realtech Private Limited, 113-114, Mohta Building, 4, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9700 (Rs. Nine Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.97,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 000001 to 1,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (898)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7805.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्यूटरमन इंडिया प्रा. लि., 205, सीए चैम्बरस, 18/12, डब्लू इ ए, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, द्वारा जारी क्रिए जाने वाले रुपए 3,71,75,150 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,62,42,331 से 1,99,59,845 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 37,176 (रुपए सैंतीस हजार एक सौ छिहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(898)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7805.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Guetermann India Private Limited, 205, CA Chambers, 18/12, WEA Karol Bagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 37,176 (Rs. Thirty Seven Thousand One Hundred Seventy Six) only on the aggregate value of shares of Rs.3,71,75,150 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,62,42,331 to 1,99,59,845 to be issued by the said

सं. फा. 10 (882)/मु. स. (मुख्या.)/स.शू./08/7806.-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)

company.

दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बंसल क्रेडिट्स लि., 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दियागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,00,26,000 मूल्य के सेक्योर्ड, रिडिमेबल नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर (सीरीज के एण्ड एल) जिनकी पृथक संख्या 94,148 से 1,14,173 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 20,026 (रुपए बीस हजार छब्बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credit Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryaganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,026 (Rs. Twenty Thousand Twenty Six) only on the aggregate value of debentures of Rs. 2,00,26,000 for issue of Secured redeemable Non Convertible debentures Series 'K' & 'L' bearing distinctive No. 94,148 to 1,14,173 to be issued by the said company.

No. F. 10(882)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7806.—In

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री विनटेज बिल्डमार्ट प्रा. लि., स्टेटसमैन हाउस, आठवी मंजिल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

सं फा. 10 (809)/मु. स. (मुख्या.)/स.श्./08/7807.-

exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vintage Buildmart Private Limited, Statesman House, 8th Floor, Barakhama Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (883)/मृ.स. (मुख्या,)/स.शू./08/7808.-

No. F. 10(809)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7807.—In

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 84,80,00,000 मूल्य के बोण्डस जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 470,00,00,001 से 470,00,00,848 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 8,40,000 (रुपए आठ लाख वालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(883)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7808.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,40,000 (Rs. Eight Lac

Forty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.84,80,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 4700000001 to 4700000848 to be issued by the said company.

दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2009

सं. फा. 10 (854)/मु स. (मुख्या)/स.शु, /08/7829.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आर्क बिल्डकोन प्रा. लि., 113-114, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 97,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000001 से 100000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 9700 (रुपए नौ हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 14th October, 2009

No. F. 10(854)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7829.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Arch Buildcon Private Limited, 113-114, Mohta Building, 4, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9700 (Rs. Nine Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.97,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 000001 to 100000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (887)/मु स. (मुख्या)/स.शु./08/7831.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स मवाना शुगर्स लि., पांचवी मंजिल, कीर्ति महल, 19, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 15,99,99,976 मूल्य के इक्विटी शेयरो जिनकी पृथक संख्या 30573251 से 34956811 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,60,000 (रुपए एक लाख साठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(887)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/78031.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mawana Sugars Limited, 5th Floor, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,60,000 (Rs. One Lac Sixty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.15,99,99,976 for equity share certificates with distinctive Nos. 30573251 to 34956811 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (895)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/7837.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सर्ल नेस्टिबल्ड प्रा. लि., 206, त्रिवेणी कम्पलेक्स, ई- 10-12, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 9,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000001 से 95000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 950 (रुपए नौ सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(895)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7837.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sarl Nestbuild Private Limited, 206, Triveni Complex, E 10-12, Laxmi Nagar, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.950 (Rs. Nine Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs.9,50,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 000001 to 95000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (889)/मु स. (मुख्या)/स.शु,/08/7838.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी
निर्देश देते हैं कि मैसर्स सूर्या मेन्यूफैक्चरिंग इंडिया लि., 301, पदमा
टावर-1, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने
वाले रुपए 25,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरो जिनकी पृथक संख्या
1800008 से 2050007 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2500
(रुपए दो हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(889)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7838.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry

of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Manufacturing India Limited, 301, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2500 (Rs. Two Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 25,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1800008 to 2050007 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (891)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/7844.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पंजाब नेशनल बैंक, 7 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 500,00,00,000, मूल्य के अनसेक्योर्ड, नन कनवर्टीबल, सर्बोडिनेटेड परपेचुअल टियर I बोण्ड जो कि (प्रोमोजरी नोट के रूप में है एवं जिनकी पृथक संख्या 1 से 5000 (सिरीज-V) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 50,00,000 (रुपए पचास लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab National Bank, 7, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,00,000 (Rs. Fifty Lac) only on the aggregate value of Rs. 500,00,00,000 for unsecured non-convertible subordinated tier I perpetual bonds issue Series V in the nature of promissory note with distinctive No. 1 to 5000 to be issued by the said company.

No. F. 10(891)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7844.—In

सं फा. 10 (812)/मु, स. (मुख्या)/स.शु./08/7845.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स टूडे पावर प्रा. लि., स्टेट्समैन हाउस, आठवीं मंजिल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरो जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(812)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7845.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Today Power Private Limited, Statesman House, 8th Floor, Barakhama Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (874)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/7846.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स हाइजिया फिटनेस फ़िक्स प्रा. लि., 191, दूसरी मंजिल, पॉकेट-बी, एसएफएस, सुखादेव विहार, नई दिल्ली-110025, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 10,000 (रुपए दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(874)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7846.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hygeia Fitness Freaks Private Limited, 191, 2nd Floor, Pocket-B, SFS, Sukhdev Vihar, New Delhi-110025 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,000 (Rs. Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.1,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 10000000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2009

सं. फा. 10 (894)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/7856.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स वी.आर.बी. फुडस प्रा. लि., एफ-66, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 3,05,40,300 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,01,001 से 2,02,801 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए

30,541 (रुपए तीस हजार पांच सौ इकतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 15th October, 2009

F. No. 10(894)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7856.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. V.R.B. Foods Private Limited, F-66, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,541 (Rs. Thirty Thousand Five Hundred Forty One) only on the aggregate value of shares of Rs.3,05,40,300 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,01,001 to 2,02,801 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (878)/मु, स. (मुख्या.)/स.शु/08/7858.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्काउट मोबाईल इन्टरनेट सर्विसज लि., 13, अबुल फजल रोड, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 45,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरो जिनकी पृथक संख्या 101 से 999 परिफ्रेन्स शेयर जिनकी पृथक संख्या 1 से 1 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 4,500 (रुपए चार हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(878)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7858.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Scout Mobile Internet Services Limited, 13, Abul Fazal Road, Bangali

Market, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,500 (Rs. Four Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.45,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 101 to 999 and preference share certificate with distinctive No. 1 to 1 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (835)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/7869— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेमटेल हाल डिस्पले सिस्टमस लि., छठी मंजिल, 7, टीडीआई सेन्टर, डिस्ट्रिक सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,85,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5001 से 1,90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 18,500 (रुपए अठारह हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से, विनय कमार, संयुक्त सचिव

F. No. 10(835)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/7869.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Samtel Hal Display Systems Limited, 6th Floor, 7, TDI Centre, District Centre, Jasola, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 18,500 (Rs. Eighteen Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,85,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 5001 to 1,90,000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Government of National Capital Territory of Delhi, VINAY KUMAR, Jt. Secy.